केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 21.08.2018

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60128
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50492

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली – 110001.

निर्णय की तारीख : 21.08.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	24.07.2018, 27.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एस. के. रब्बानी, श्री सुशील कुमार
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.08.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के वतन से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री सुशील कुमार, उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 1 से 4 तक एवं श्री एस. के. रब्बानी, उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 5 से संबंधित सूचना प्रेषित की गई । श्री सुशील कुमार, उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 1 से 4 तक के संबंध में प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. प्रथम अपील निपटाने के क्रम में श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया, जिन्होंने सूचित किया गया भूलवश अपीलकर्ता को पुरानी सूचना प्रेषित हो गई है । श्री सुशील कुमार द्वारा अद्यतन सूचना से संबंधित दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें File No. 19/2/2012/CIC/Admn/Vol.II Dated 18/01/2018 जिसके माध्यम से मैसर्स वी. के. इंटरप्राइजेज के साथ एग्रीमेंट की अवधि 31.01.2019 तक बढ़ा दी गई है (प्रति संलग्न – संलग्नक-1) तथा दूसरा दस्तावेज File No. 6/21/2010/CIC/Admn Dated 28/02/2017 है (प्रति संलग्न – संलग्नक-2) जिसके माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों का अद्यतन वेतन निर्धारित किया गया है । श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दोनों दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के परिप्रेक्ष्य में उक्त दस्तावेजों (संलग्नक-1 एवं संलग्नक-2) में पूर्ण व स्पष्ट सूचना उपलब्ध है । इस संदर्भ में श्री सुशील कुमार, उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को भी निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में सूचना प्रदान करते हुए ध्यान रखा जाए कि अपीलकर्ता को अद्यतन सूचना ही प्रदान की जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि : 21/08/18
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री सुशील कुमार, उप-सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
2 AUG 2018
D. No.
Initials

21/8/18